न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 132 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार शिव

रेस्पोर्डेटगण

बनाम1.इमामदीन पुत्र वली जाति मुसलमान निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव राजस्व वाद सं. 11 / 2000 बअनवान इमामदीन बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2008 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री तरूण व्यास रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 08.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार शिव के विरूद्व वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शिव में स्थित खेत खसरा संख्या 343 / 2 में रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 344 में 15 बीघा समस्त रकबा 65 बीघा पर वादी का कब्जा जागीरकाल से उसके पश्चात भू प्रबंध काल से लगातार चला आ रहा है यह आराजी उसकी जागीरकाल की स्व अर्जित है परन्तु भू बंदोबस्त के दौरान इस आराजी को रैकर्ड में सरकारी पड़त दर्ज कर दिया। भू प्रबंध से लगातार कब्जा व वादी को भूमिहीन देखकर सन् 1979 में आवंटन परामर्शदात्री ने वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 344 में से 15 बीघा व खसरा संख्या 343 / 2 में रकबा 50 बीघा भूमि आवंटन हुआ जो राजनैतिक कारणों से बाद में निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई जावबदावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया तथा मौखिक साक्ष्य व खसरा परिवर्तनशील तथा प्रतिकूल कब्जे को आधार मानकर वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। आम तथ्यों को नाकारते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है जो कि काबिले निरस्तनीय है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है जो कि कतई उचित नहीं है। अतः सम्पूर्ण कार्यवाही एकपक्षीय एवं एकतरफा की गई है। वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त नहीं रहा यदि रेस्पोडेंट/वादी का उक्त खसरो पर लगातार कब्जा काश्त होता तो स्थाई बंदौबश्त के समय रेस्पोडेंट/वादी को खोतदारी अधिकार दे दिये जाते परन्तु उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट/वादी कभी–कभी अतिक्रमी होने से उक्त खसरों को रेस्पोडेंट/वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही होता एक अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वरा अपीलांट को जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट का जबाव लिये बिना एवं भूमिधारी तहसीलदार को सुने बिना वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी देना न्यायसंगत नहीं नहीं है। दिनांक 19.05.1979 को शिव से भूमि का आवंटन अंत्योदय परिवारों का हुआ था। वादी/उतरदाता ने तथ्य छिपाकर अपने पक्ष में अंत्योदय चयनियत होना बताकर आवंटन कराया जबकि आवंटन से पूर्व दिनांक 23.04.1979 को इसका अंत्योदय में चयन निरस्त हो गया था ओर यह तथ्य प्रशासन के ध्यान मे आने पर दिनांक 02.08.1979 को आदेश जारी कर आवंटन निरस्त किया गया। आवंटन व्यक्ति का अधिकारी नहीं है यह राज्य की भूमिहीनों प्रतिउदारता है। आवंटन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खातेदारी घोषणा का आधार नहीं हो सकता आवंटन निरस्त करने के दस्तावेज वादी/उतरदाता द्वारा पेश किये जा चुके थे उन्ही की प्रतिया पुनः प्रतिवादी/अपीलकर्ता द्वारा पेश करने का कोई औचित्य नही था खातेदारी अधिकारों का यह आधार साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय वादी ने अपने सम्पूर्ण वाद में प्रतिकूल कब्जे का न तो कोई अंकन किया है ओर न उसके वाद का यह आधार है कि न्याय का सिद्धांत है कि **The decision of case cannot be onground ortside the pleading of the posies.** रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वादी ने वक्त जागीर वादग्रस्त आराजी अर्जित कर बहैसियत सद्भावी कृषक कब्जा प्राप्त किया हो तथा न यह साबित है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय वह वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहा हो। आम तथ्यों को नाकारते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है अतः अपीलांट को अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी का रेस्पोडेंट को आवंटन दिनांक 19.05.1979 को किया गया लेकिन राजनैतिक कारणों से दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

02.08.1979 आवंटन निरस्त कर दिया गया। अपीलांट द्वारा प्रकरण को लंबा करने के मकसद से पत्रावली को लंबित किया जा रहा है। अपीलांट के आपतिपूर्ण रवैय का कहीं अंत नजर नहीं आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट का वाद डिक्री करने के बावजूद भी रेस्पोडेंट के नाम नामांतकरण स्वीकृत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। रेस्पोडेंट/वादी का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से लेकर आज तक वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त था। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर जबावदावा पेश नहीं किया गया जबकि प्रकरण की जानकारी अपीलांट को थी बावजूद सूचना अनुपस्थित आये। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में एस बी सिविल रिट संख्या 1582/2016 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2017 के संदर्भ में यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है माननीय उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात अन्य सरकारी कार्यों में लगातार दो माह राजस्व अभियान व उसे बाद बाढ राहत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है। अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की है अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भावी है। अतः अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना न्यायसंगत है। अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी को सुने बिना निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है तथा विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

द्वारा वादी/रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकारी आवंटन आदेश के आधार पर दी गई जबकि आवंटन आदेश में कुल 64 बीघा भूमि का आवंटन किया जबकि खातेदारी अधिकार कुल 65 बीघा भूमि का किया गया जो स्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर करता है अंतर का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा तथ्यों को छुपाकर करवाया गया आवंटन आदेश निरस्त होने से उसके आधार पर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा बताकर रेस्पोडेंट वादी को मौजूदा दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं था। लगातार कब्जा काश्त नहीं रहा यदि रेस्पोडेंट/वादी का उक्त खसरो पर लगातार कब्जा काश्त होता तो स्थाई बंदौबश्त के समय रेस्पोडेंट/वादी को खोतदारी अधिकार दे दिये जाते परन्तु उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट/वादी कभी–कभी अतिक्रमी होने से उक्त खसरों को रेस्पोडेंट/वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही होता एक अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार शिव का जबावदावा रेकर्ड पर लेने से पूर्व ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया जबकि तहसीलदार शिव को सुनना न्यायसंगत था। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट को रिमांड किया जाना उचित ठहरता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव राजस्व वाद सं. 11/2000 बअनवान इमामदीन बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2008 को अपास्त किया जाकर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाकर अपीलांट/प्रतिवादी का जबावदावा रेकर्ड पर लेकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

08/11/19

(नाथसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner